सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 605/2022

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. बलदेव सिंह पुत्र स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. जसवीर कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखजीत कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. भोली कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गुरपाल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरलाल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. गुरसाहब सिंह पुत्र स्व. श्रीमती परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. अंग्रेज सिंह पुत्र स्व. श्रीमती जसपाल कौर जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. हरदीप सिंह पुत्र स्व. श्रीमती जसपाल कौर जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. महकदीप कौर पुत्री स्व. श्रीमती जसपाल कौर जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. मनजीत कौर पत्नी स्व. श्री मलकीत सिंह जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. सन्दीप सिंह पुत्र स्व. श्री मलकीत सिंह जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

लगातार --2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–18.01.2023

वादीगण बलदेव सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण जसवीर कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 4 ता 9 के नाना, प्रतिवादी सं. 10 के ससुर एवं प्रतिवादी सं. 11 के दादा स्व. श्री रामरतन पुत्र श्री अर्जन के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2864/6307 हिस्सा अर्थात् 2.864 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 ता 6, 8 ता 10 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3, 7 व 11 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 ता 6, 8 ता 10 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3, 7 व 11 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) **वादीगण बलदेव सिंह एवं सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री रामरतन समस्त जाति मजबी निवासीगण चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.671 है. कृषि भूमि

लगातार ––3

(ख) **प्रतिवादी सं. 3 भोली कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.358 है. कृषि भूमि

(ग) **प्रतिवादी सं. 7 अंग्रेज सिंह पुत्र स्व. श्रीमती जसपाल कौर जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.358 है. कृषि भूमि

(घ) **प्रतिवादी सं. 11 सन्दीप सिंह पुत्र स्व. श्री मलकीत सिंह जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.477 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 11 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 12 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया।

लगातार ––4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 एन.के. आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 4 ता 9 के नाना, प्रतिवादी सं. 10 के ससुर एवं प्रतिवादी सं. 11 के दादा स्व. श्री रामरतन पुत्र श्री अर्जन के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2864/6307 हिस्सा अर्थात् 2.864 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 4 ता 9 के नाना, प्रतिवादी सं. 10 के ससुर एवं प्रतिवादी सं. 11 के दादा स्व. श्री रामरतन पुत्र श्री अर्जन के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2864/6307 हिस्सा अर्थात् 2.864

लगातार --5

है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.671 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 3 को 0.358 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.358 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 11 को 0.477 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री रामरतन पुत्र श्री अर्जन का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 605/2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. बलदेव सिंह पुत्र स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

13. जसवीर कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. सुखजीत कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. भोली कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. गुरपाल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. गुरलाल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. गुरसाहब सिंह पुत्र स्व. श्रीमती परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री रामरतन जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
19. अंग्रेज सिंह पुत्र स्व. श्रीमती जसपाल कौर जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. हरदीप सिंह पुत्र स्व. श्रीमती जसपाल कौर जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
21. महकदीप कौर पुत्री स्व. श्रीमती जसपाल कौर जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
22. मनजीत कौर पत्नी स्व. श्री मलकीत सिंह जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
23. सन्दीप सिंह पुत्र स्व. श्री मलकीत सिंह जाति मजबी निवासी चकहीरासिंहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
24. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

लगातार --2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 18.01.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादीया मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 4 ता 9 के नाना, प्रतिवादी सं. 10 के ससुर एवं प्रतिवादी सं. 11 के दादा स्व. श्री रामरतन पुत्र श्री अर्जन के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 98/47 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2864/6307 हिस्सा अर्थात् 2.864 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.671 है. कृषि भूमि के ब. हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 3 को 0.358 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.358 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 11 को 0.477 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री रामरतन पुत्र श्री अर्जन का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....×........ निल ....×....... मुब्लिक ....×...........निल ....×...... बाबत् ....×........निल........×......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....×..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक 18.01. 2023** को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया